[Shri Hem Barua]

question the Speaker's ruling or criticise it and question it in an indirect way.

Mr. Speaker: I do not think that the hon. Member has got any doubts about that—that the Speaker's ruling cannot be challenged in this House. But what is doubtful is, whether it has been questioned at all. If the hon. Member presumes that it has been challenged, I do not agree with him. Nobody has challenged that. I repeat that I agreed with Shri Kamath. Certainly the Prime Minister himself has said that certain things which had been said had distressed him, as also every citizen of this country. Even after the explanation that has been given, I said that it was not proper even to say as much as has been said, whatever may be the context.

Shri Ram Sewak Yadav *rose*—

Mr. Speaker: I am not allowing any hon. Member who is not a signatory to this, to put a question.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta Central): I cannot actually say if I am raising a point of order, but certain issues arise and I ask for your guidance....

Mr. Speaker: I appeal to Shri Mukerjee. His name is not here and I have all along been refusing every other hon. Member permission to put a question, and I would not allow him to put any question or ask for any clarification. If he has something else, he can come to me or write to me, and I will try to pursue it if necessary.

Shri H. N. Mukerjee: My submission is that I am not asking for any clarification in regard to any matter contained in the Prime Minister's reply, but there are certain issues in regard to parliamentary proprieties which are involved and I would like to have your guidance here in this House.

Mr. Speaker: Then he may kindly come to me, and then we shall discuss, and then I will see. I would request him not to pursue it at this moment, because I am not allowing any other Member who is not a signatory to this notice to put a question.

श्री बागड़ी : मेरे ग्राधे सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। कहा जाता है कि पटनायक जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल कर बता सकूंगा कि ग्रभी डिफेंस मिनिस्टर बनूं या न बनूं ग्रौर ग्रागे चल कर प्रधान मंत्री बनूं. इस का जवाब नहीं दिया गया है।

ग्रध्यक्ष महोदय : इस के बारे में जवाब दे चुके हैं ग्रौर वह जवाब ग्राप के ध्यान में है।

12.26 hrs.

ACCIDENT BETWEEN TIRUCHI-RENI EXPRESS AND A BUS

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी का ध्यान निम्न ग्रविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ग्रोर ग्राकर्षित करता हूं ग्रौर चाहता हूं कि वह ग्रपना वक्तव्य दें :-

> "१२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्सप्रेस ग्रौर एक बस के बीच दुर्घटना जिस के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ग्रौर कई व्यक्तियों को चोटें ग्राईं"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : २१ मार्च, १९६३ को तड़के लगभग ४ बज कर १२ मिनट पर जब १२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्सप्रेस गाड़ी गुन्तकल्लु . . .

श्री बागड़ी (हिसार) : इसका उत्तर तो हिन्दी में पढ़वा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दी में ही तो पढ़ रहे हैं ।

श्री राम सेवक यादव : शोर इतना ज्यादा हो रहा है कि पता ही नहीं चलता है . . .

अध्यक्ष महोदय: यही तो मेरी शिकायत है कि शोर बहुत ज्यादा हो रहा है ।

श्री शाहनवाज खां : २१ मार्च, १९६३ को सुबह लगभग ४ बज कर १२ मिनट पर, जब १२२ डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुंटा एक्सप्रेस गाड़ी गुन्तकल्लु डिवीजन के पाकाला-रेणिगुंटा मीटर लाइन सेक्शन के चन्द्रगिरि और तिरुपति ईस्ट स्टेशनों के बीच मील न० १६५।६ के समपार (लेवेल क्रासिंग) से गुजर रही थी, उसी समय एक सवारी मोटर बस समपार से गुजरी और गाड़ी के इंजन से टकरा गयी । इस समपार पर चोकीदार तैनात है और इस पर अन्तर्पाश । (इंटरलाकिंग) की व्यवस्था नहीं है ।

टक्कर लगने से बस उलट गयी और उस में बैठे हुए २३ यात्री घायल हो गये। मरहम पटटी के बाद घायलों को आगे इलाज के लिए तिरुपति के सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया । इन में से एक आदमी मर गया । दूसरे तीन यात्रियों को गहरी और बाकी १९ को मामूली चोटें आयीं ।

रेल गाड़ी के कर्मी दल (क्रिउ) या रेल यात्रियों को कोई चोट नहीं आयीं । रेल गाड़ी के इंजन को मामूली नुक्सान पहुंचा ।

सूचना मिलते ही रेलवे के डाक्टर तुरन्त घटना स्थल के लिए रवाना हो गए और कुछ ही देर में वहां पहुंच गए । डाक्टरी सहायता गाड़ी भी तुरन्त घटना स्थल पर भेज दी गयी ।

दुर्घटना में जो आदमी मर गया और जिन लोगों को सख्त चोटें आईं, उनके निकट सम्बन्धियों को अनुग्रह के रूप में कुछ रकम देने की व्यवस्था की गयी है ।

दुर्घटना के कारण की जांच करने के लिए सीनियर स्केल अफसरों की एक कमेटी नियुक्त की गयी है और जांच की जा रही है ।

आखिरी सूचना जो मिली है, उस के अनुसार जिन आदमियों को मामूली चोटें आयी थीं उन में से बारह को अस्पताल से छुट्टी दे दो गयी है । मालूम हुआ है कि जिन लोगों को सख्त चोटें आयी थीं, उन की हालत में तसल्लीबख्श सुधार हो रहा है ।

श्री रामसेवक यादव : लेवेल क्रासिंग्स पर बार बार यह दुर्घटनायें होती रहती हैं, कभी इंटरलाकिंग की गड़बड़ी से और कभी इस लिए कि नीचे पुलों के वास्ते या सडक के वास्ते स्टेट सरकारों का सहयोग नहीं हैं, इस लिये इस चीज को दूर करने के लिये मंत्रालय की तरफ से अब तक क्या कदम उठाये गये, और उस को लेने में वह कहां तक सफल हुआ ? यदि सफल नहीं हुए तो उस के लिऐ और क्या कदम उठाये जा रहें हैं ?

श्री शाहनवाज खां : जैसा माननीय सदस्य को मालूम है, इस देश में लगभग १९,००० ऐसी लेवेल क्रासिंग्स हैं, जिन के ऊपर आदमी तैनात नहीं हुए हैं । रेलवे ने एक सर्वे किया और जहां पर ज्यादा ट्रेफिक है ऐसी लेवेल क्रासिंग्स पर आदमी तैनात करने के लिये १२०० लेवेल क्रासिंग्स के गेट्स को चुना गया । स्टेट गवर्नमेंट्स से सिफारिश की गई है कि इस पर जो खर्चा होगा उस में वे रेलवे के साथ हिस्सा बटायें । बहुत सी लेवेल क्रासिंग्स ऐसी हैं जिन पर हम ने अपने खर्चे से चौकीदार बिठला दिये हैं । यहां पर मैं यह भी अदब से दर्ख्वास्त करना चाहता हूं कि जो अनमेन्ड लेवेल क्रासिंग्स हैं, जहां पर चौकीदार नहीं होता है, उन को पार करते वक्त जो मोटर बस या मोटर

[श्री. शाहनवाज खां]

लारियां चलाने वाले हैं उन को भी देखना चाहिये कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। यह तो एक मामूली सी खबरदारी है जिस को हर एक मुसाफिर को, हर एक मोटर गाड़ी या दूसरी गाड़ी चलाने वाले को देखना चाहिये।

श्री यशपाल सिंह : क्या में जान सकता हूं कि इस ऐक्सिडेंट की तहकीकात रेलवे के सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा कराई जा रही है या रेलवे बोर्ड के अफसरान इस की तहकीकात कर रहे हैं ?

श्री शाहनवाज खां : मैं ने अर्ज किया है कि रेलवे के सिनियर स्केल आफिसर्स इस की जांच कर रहे हैं सिक्योरिटी स्टाफ से इस का कोई ताल्लुक हीं है।

श्री बागड़ी : मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर आम रास्ते हैं और आमद रफ्त बहुत है, वहां पर ओवर ब्रिज बनाने के लिये जो रेलवे मंत्री ने बार बार एलान किया है कि उस का ५० परसेन्ट राज्य सरकारें दें, और मिसाल के तौर पर में बतलाऊं कि हिसार में जो रेलवे ब्रिज बनाने की बात है, उस का ५० परसेन्ट वहां की मिनिस्ट्री और म्यूनिसिपैलिटी देने के लिये तैयार है, और इस के लिये मैं ने चिट्ठी भी लिखी है मंत्रालय को, वह सिरफ जबानी बात है या कोई स्पेशल केसेज हैं उन में वह ऐसा कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य ने मुझे जो चिट्ठा लिखी थी उस का जवाब मैं ने उन्हें दे दिया है। उन्हों ने मुझे लिखा था कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को लिखूं। मैं ने उन को लिखा है। अगर वह पैसा देने के लिये तैयार होंगे तो वहां पर ओवर ब्रिज बन जायेगा।

श्री बागड़ी : अगर म्यूनसिपैलिटी दे तो हो जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई दे उन को। वह आधा देने के लिये तैयार हो।

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां, वहां की म्यूनिसिपैलिटी दे, पंजाब गवर्नमेंट दे। लेकिन इस में आधे का सवाल नहीं है, ऐप्रोच रोड और ब्रिज का सवाल है।

12.36 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL REPORT OF THE ADMINISTRATIVE VIGILANCE FOR 1962

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Sir, I beg to lay on the Table a copy of Annual Report of the Administrative Vigilance Division for the year 1962. [*Placed in Library. See* No. LT-1025/63).

NOTIFICATIONS UNDER THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ACT

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman): Sir, I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 7 of the Employees' Provident Funds Act, 1952:—

(i) The Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1963 published in Notification No. G.S.R. 269 dated the 9th February, 1963.

(ii) The Employees' Provident Funds (Fourth Amendment) Scheme, 1963 published in Notification No. G.S.R. 297 dated the 16th February, 1963. [*Placed in Library. See* No. LT-1026/63].

PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

Secretary: Sir, I lay on the Table following five Bills passed by the Houses of Parliament during the cur-